बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

11 फरवरी 2026

[ग्रामीण कार्य विभाग - ग्रामीण विकास विभाग - पंचायती राज विभाग - जल संसाधन विभाग - लघु जल संसाधन विभाग - पथ निर्माण विभाग - भवन निर्माण विभाग - श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग].

कुल अल्पसूचित प्रश्न 7

पहचान सुनिश्चित करना

*14 **श्रीमती स्नेहलता** (208) (**सासाराम**):

ग्रामीण विकास विभाग क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -
1. क्या यह बात सही है कि राज्य की लाखों जीविका दीदियाँ विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, यदि हाँ तो, क्या सरकार उनकी सुरक्षा और आधिकारिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आधार-लिंक्ड फोटो पहचान पत्र (ID Card) और एक निर्धारित ड्रेस कोड (साड़ी/एप्रन) उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

आवास का निर्माण

*15 **श्री मंजीत कुमार सिंह** (100) (**बरौली**):

ग्रामीण विकास विभाग :-
स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 14.01.2026 को प्रकाशित 'पी0एम0आवास राशि भुगतान रुकने से नौ लाख गरीब आवासों का निर्माण अटका' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगे कि:-
1.क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 लाख और 2025-26 में अप्रैल तक 5 लाख प्रधांनमंत्री आवास के

निर्माण स्वीकृति मिली थी, जिसमें 9 लाख से अधिक आवासों के निर्माण लंबित हैं ;
2.क्या यह बात सही है उक्त अवधि से अद्यतन 12 लाख 20 हजार के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 2 लाख 85 हजार आवास पूर्ण हुए हैं;
3.यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने

*16 **श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (75) (सहरसा):**

पंचायती राज विभाग क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
1. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के सैकड़ों तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु वाद संख्या-सीडबल्यूजेसी नं0-9692/20215 में दिनांक-01.12.2022 को निर्णय दिया गया था कि सरकार के सभी अतिक्रमित तालाबों को जिला पदाधिकारी अपने स्तर से मुक्त करवाएँ परन्तु इसके बावजूद पटना जिला में 64 तालाब, नालंदा जिला में 50, पश्चिमी चंपारण में 77, पूर्वी चंपारण में 64, दरभंगा में 19, खगड़िया में 30, बक्सर में 122 सहित पूरे राज्य में लगभग 1045 तालाब वर्तमान में अतिक्रमित है, यदि हाँ तो सरकार उक्त तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

नलकूपों को चालू कराना

*17 **श्रीमती शालिनी मिश्रा (15) (केसरिया):**

लघु जल संसाधन विभाग :-
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में 10240 राजकीय नलकूपों में से 5340 से अधिक नलकूप यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पडे हुये है; यदि हां, तो सरकार बंद पड़े राजकीय नलकूपों को कब तक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

सुपरवाईजर एवं सफाई कर्मी का वेतन निर्धारण

*18 **श्री उपेन्द्र प्रसाद (225) (गुरुआ):**

ग्रामीण विकास विभाग :-
क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी पंचायतों में कार्य हेतु सफाई सुपरवाईजर एवं सफाई कर्मी नियुक्त हैं, जिसे दैनिक वेतन के रूप में मात्र क्रमशः 7000 (सात हजार) एवं 3000 (तीन हजार) रू0 दिया जाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित एक दिन के दैनिक मजदुरी से भी कम है, जिससे जीविकोपार्जन में कठिनाई हो रही है यदि, हाँ तो

सरकार द्वारा निर्धारित न्युनतम दैनिक मजदुरी के हिसाब से पंचायतों में कार्यरत सफाई सुपरवाईजर एवं सफाई कर्मी का भी वेतन निर्धारण कबतक कराने का विचार रखती है नहीं तो क्यों ?

आवास निर्माण कराना

*19 **श्री अमरेन्द्र कुमार (219) (गोह):**

ग्रामीण विकास विभाग :-

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 30.12.25 के अंक में प्रकाशित "मनरेगा से 1% प्रतिशत को भी नहीं मिला 100 दिन रोजगार" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें किः-

1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2025 में मनरेगा योजना के अधीन 45.87 लाख परिवारों ने काम किया जिसमें से मात्र 8545 को ही सौ दिन रोजगार मिला ;

2. क्या यह बात सही है कि सभी परिवारों को 100 दिन का रोजगार निश्चित करने की गारंटी देने का प्रावधान उस योजना के अधीन है ;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उतर स्वीकारात्मक हैं तो मात्र एक प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिन रोजगार देने का क्या औचित्य है ?

अनुदान देना

*20 **श्री जिवेश कुमार (87) (जाले):**

पंचायती राज विभाग क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-1. क्या यह बात सही है कि पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या -8प/वि-5-131/2013/ पं० /रा०/ 5482 पटना दिनांक 01/10/2018 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा, हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधि के परिजन को पांच लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान का प्रावधान किया गया है,2. क्या यह बात सही है कि उक्त अनुग्रह अनुदान राशि निर्वाचित जन प्रतिनिधि के सामान्य मृत्यु की स्थिति में प्रावधानित नहीं है ,3.यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त निर्वाचित प्रतिनिधियों को सामान्य मृत्यु पर पांच लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि का प्रावधान कराने का विचार रखती है , नहीं तो क्यों ?